रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 1994/चैत्र 28, 1916
No. 167] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 1994/CHAITRA 28, 1916

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1994

सा. का. नि. 390(अ):— केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 219 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1991 के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294-कक तक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी यह राय होने पर कि नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट कोटि के माल की मांग ऐसे माल के उत्पादन या प्रदाय से पर्याप्त अधिक है और ऐसे माल के लिए बाजार पैदा करने के लिए एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की और अवधि के लिए किसी

कंपनी द्वारा भारत में ऐसे माल के विक्रय के लिए एक मात्र विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

सारणी

औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 में परिभाषित "प्रपुंज औषधि" औषधियों और सूत्रयोगों की ऐसी प्रत्येक कोटि जो:

(i) आयुर्वेदिक (जिसमें सिद्ध भी सम्मिलित है) या यूनानी (तिब) चिकित्सा पद्धतियों में सम्मिलित कोई वास्तविक निर्मिति नहीं है ; या

(ii) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कोई निर्मिति नहीं है।

[फा. सं. 3/7/87 सी एल – 5]

जैनेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th Aprli, 1994

G.S.R. 390(E).—In continuation of Notification No. GSR 219(E), dated the 18th April, 1991 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 294AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government being of the opinion that the demand for the category of goods specified in the Table below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of the Sole Selling Agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that Sole Selling Agents shall not be appointed by any company for the sale of such goods in India for a further period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Every category of "bulk drug", "drugs" and "formulations" as defined in the Drugs (Prices Control) Order, 1987 not being :—

(i) any bonafide preparation included in the Ayurvedic (including Siddha) or Unani (Tibb) systems of medicine ; or

(ii) any preparation included in the Homoeopathic system of medicine.

[F. No. 3/7/87-CL.V]

JAINDER SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager. Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1994